

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2795]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2017/आश्विन 7, 1939

No. 2795]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2017/ASVINA 7, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2017

का.आ. 3193(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2276 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, की प्रतियां जनता को तारीख 1 जुलाई, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पूर्वोक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, सेचु तुआन नाला वन्यजीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में अवस्थित है और 390.29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, इस अभयारण्य में वनस्पति और जीवजन्तु समृद्ध जैविकीय महत्व का द्योतक है; पुष्प प्रजातियों में कैल (*पितुस वाल्लीचीअना*), स्पूस (*पिसिया स्मिथियाना*), सिल्वर फर (*एविडिस पिंड्रो*) आदि, शामिल हैं; वन्यजीव अभयारण्य में निवास बर्फीला तेंदुआ (*पैंथेरा अनकिया*), तेंदुआ बिल्ली (*परीओनालीलरूस बेन्गालेन्सिस*), कस्तूरी मृग (*मोसचुस स्पा.*), भूरा भालू (*उरसूस अरकटोस*), लंगूर, हिमालयन थार (*हेमीटरागुस जेमलाहीकुस*), गोरल (*नअमोरहेडूस स्पा.*), मोनल (*लोफोफोरूस इमपेजानुस*), कोकलाश (*पुकरासीस मकरोलाफा*), कलीज (*लोफुरा लेयकोमेलनुस*), चीर (*कटराअस वाल्लीची*), आदि, का अभयारण्य में वास है;

और, सेचु तुआन नाला वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में सेचु तुआन नाला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के इर्द गिर्द 0 मीटर से 1 किलोमीटर तक के विस्तार वाले क्षेत्र को सेचु तुआन नाला वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**—(1) सेचु तुआन नाला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0 मीटर से 1 कि.मी. के बीच है, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिशाओं की ओर 0 पारिस्थितिकी संवेदी जोन जम्मू-कश्मीर और उंचाई वाले क्षेत्रों के साथ अन्तरराज्यीय सीमा के कारण है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 46.45 वर्ग कि.मी. है।।

(2) सेचु तुआन नाला वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सेचु तुआन नाला वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना**—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का अनुपालन करते हुए, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) इस प्रकार तैयार आंचलिक महायोजना अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुबंधों के अनुसार होगी।

(3) उक्त योजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों, यदि कोई हों, के सामंजस्य से तैयार की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना, संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श करके तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन;
- (iii) शहरी विकास;
- (iv) पर्यटन;
- (v) नगरपालिका;
- (vi) राजस्व;
- (vii) कृषि;
- (viii) सिंचाई;
- (ix) लोक निर्माण विभाग; और
- (x) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर तब तक कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास का विनियमन करेगी और इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध, विनियमित और संवर्धित क्रियाकलापों का पालन करेगी जिससे स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकी अनुकूल विकास का उनके जीवकोपार्जन को सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित किया जा सके।

(10) आंचलिक महायोजना मानीटरी समिति के लिए इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन अपने कृत्य करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेजी होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग** - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों को करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचयन।
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं;

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक झरनें** - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा आवाह प्रबंध योजना ऐसी रीति में तैयार की जाएगी जिससे आवाह क्षेत्रों के भीतर विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया जा सकेगा।

(3) **पारिस्थितिकी-पर्यटन** - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना की भाग होगी।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, राजस्व और वन विभाग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक संघटक होगी।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) सेचु तुआन नाला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इसमें जो भी निकट हो, होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे, तथापि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटल और रिसोर्टों की स्थापना को पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन कार्यकलापों के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) दिशानिर्देशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल दिया जाएगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजना तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या हिमाचल प्रदेश नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार विनियमों के क्रियान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(8) **बहिस्त्रावों का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषणकारी तत्वों के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थी, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) अजैविक सामग्री का निपटान पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति में पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए किसी स्थल पर किया जा सके।

(iii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट को जलाना या भस्मीकरण और भूमि भराव स्थापन को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान, जैव अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.आ. 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भस्मीकरण के लिए कोई सामान्य उपचार सुविधा अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(iii) व्यष्टिक अस्पताल या प्राइवेट स्थास्थ्य केंद्रों को, जो पहले से ही पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विद्यमान है, संरक्षित क्षेत्र पर प्रतिकूल संघात से बचने के लिए पर्याप्त अपशिष्ट उपचार प्रणाली उपलब्ध करानी चाहिए।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की यथा संशोधित समय-समय पर प्रकाशित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित प्रकाशित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ईलैक्ट्रानिक-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ईलैक्ट्रानिकी-अपशिष्ट नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संशोधित और प्रकाशित किए गए थे, के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन:** - परिवहन का यानीय संचलन आवास के अनुकूल विनियमित होगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के

अनुमोदित होन तक, राज्य स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **औद्योगिक इकाइयां:** - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को सिवाय विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(16) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का विनिर्माण करने तथा अन्य निजी उपभोग के लिए धरती को खोदना भी सम्मिलित है, को पूरा करने के सिवाय प्रतिषिद्ध होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार की जाएगी।
2.	नई आरा मिलों की स्थापना और काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों या काष्ठ आधारित उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योगों और विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों के विस्तार को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया जाए, केवल नए गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा।
5.	वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	दुकानदारों द्वारा पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भष्मीकरण की सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल तथा ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य स्थापन अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भष्मीकरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध होगा।
10.	फर्मों, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

11.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
विनियमित क्रियाकलाप		
12.	पर्यटन से अन्य संबंधित गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा अन्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल एवं रिसोर्टों को ही अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं।
14.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी।
15.	खाई का मैदान।	नए खाई खोदने के मैदान का स्थापित किया जाना प्रतिषिद्ध है। पुराने खाई के मैदान लागू विधियों के अधीन विनियमित किए जाएं।
16.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह के निस्सारण के जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और लागू विधियों के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्वाह के निस्सारण को विनियमित किया जाएगा।
17.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे
19.	भूजल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
21.	प्रवासी चरवाहे।	लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
22.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन से होकर गुजरने वाली सभी विद्यमान विद्युत लाइनों को आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट समय सीमा में पर्याप्त रूप से पृथक किया जाएगा। भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
23.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों नियम और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ किए जाएंगे।
24.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

28.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
29.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
32.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित वृनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ किए जाएंगे।
33.	खुले कुआं, बोर कुआं, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
34.	टोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
35.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संबंधित क्रियाकलाप		
36.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
37.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार श्वेत प्रवर्ग के रूप में परिभाषित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
38.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	पारिस्थितिकी-अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
45.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
46.	निष्प्रेकृत भूमि या वन या आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
47.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (i) संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट, -अध्यक्ष;
- (ii) पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ -सदस्य;
- (iii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है में कार्यरत) का हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि -सदस्य;
- (iv) हिमाचल प्रदेश राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य सचिव/सदस्य -सदस्य;

(v) कार्यपालक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-सदस्य;
(vi) उपमंडल मजिस्ट्रेट, पंगी	-सदस्य;
(vii) प्रभागीय वन अधिकारी (क्षेत्रीय)	-सदस्य;
(viii) प्रभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव)	-सदस्य सचिव।

निर्देश निबंधन .-

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) मानीटरी समिति पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को भी अनुज्ञात नहीं करेगा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी। केवल श्वेत उद्योग प्रवर्ग को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (उद्योगों का वर्गीकरण), 2016 द्वारा जारी मार्गदर्शकों ने यथा विनिर्दिष्ट माना जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उस वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उनके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

7. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हो, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/28/2016-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-II**सेचु तुआन नाला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांक और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन**

सेचु तुआन नाला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
33°10'50.664"उ 76°42'41.106"पू	33°08'28.083"उ 76°34'1.875"पू
33°10'41.026"उ 76°44'53.899"पू	33°07'13.249"उ 76°35'0.453"पू
33°07'52.297"उ 76°44'45.723"पू	33°04'23.536"उ 76°35'7.409"पू
33°01'4.745"उ 76°46'37.576"पू	33°01'20.235"उ 76°36'0.386"पू
32°54'23.388"उ 76°45'19.07"पू	32°59'12.12"उ 76°33'54.362"पू
32°50'29.9"उ 76°37'33.368"पू	32°57'27.664"उ 76°33'16.547"पू
32°49'57.934"उ 76°34'56.696"पू	32°53'38.013"उ 76°31'2.348"पू

उपाबंध-III**सेचु तुआन नाला वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची**

ग्राम का नाम	भू-निर्देशांक
हील्लु	33°00'203"उ 76°35'252"पू
टवान	33°1'876"उ 76°37'121"पू
चिरोटी	33°1'254"उ 76°36'346"पू
कालिछोव	33°1'610"उ 76°36'831"पू
सनधारी	33°00'519"उ 76°35'675"पू

उपाबंध IV**पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2017

S.O. 3193(E).—**WHEREAS**, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2276 (E), dated the 1st July, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 1st July, 2016;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Sechu Tuan Nala Wildlife Sanctuary is situated in the Chamba District of Himachal Pradesh and is spread over an area of about 390.29 square kilometers;

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of this sanctuary; floral species include Kail (*Pinus wallichiana*), Spruce (*Picea smithiana*), Silver Fir (*Abies pindrow*), etc; the Sanctuary is the habitat of Snow leopard (*Panthera uncia*), Leopard cat (*Prionailurus bengalensis*), Musk deer (*Moschus sp.*), Brown Bear (*Ursus arctos*), Langoor, Himalayan Thar (*Hemitragus jemlahicus*), Goral (*Naemorhedus sp.*), etc., and pheasants like Monal (*Lophophorus impejanus*), Koklash (*Pucrasia macrolopha*), Kaleej (*Lophura leucomelanos*), Cheer (*Catreus wallichii*), etc. also inhabit the Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Sechu Tuan Nala Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent ranging from 0 metres to 1 kilometre around the boundary of the Sechu Tuan Nala Wildlife Sanctuary in the State of Himachal Pradesh as the Sechu Tuan Nala Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 0 metres to 1 kilometre from the boundary of Sechu Tuan Nala Wildlife Sanctuary, 0 Eco-Sensitive Zone towards North, South and Eastern sides is due to inter-State boundary with Jammu and Kashmir and high altitude areas and the area of the Eco-sensitive Zone is 46.45 sq. km.

(2) The map of Sechu Tuan Nala Wildlife Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I**.

(3) The Geo Co-ordinates of prominent locations of the boundary of Sechu Tuan Nala Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure II**.

(4) The list of villages falling within the Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure III**.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan so prepared shall be commensurate with the provisions specified in this notification.

(3) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest;
- (iii) Urban Development;

- (iv) Tourism;
- (v) Municipal;
- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture;
- (viii) Irrigation;
- (ix) Public Works Department; and
- (x) Himachal Pradesh State Pollution Control Board.

(6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green areas such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes, wetlands and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and shall follow prohibited, regulated and promoted activities specified in this notification so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions under the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for eco-friendly tourism activities;
- (ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) rain water harvesting; and
- (v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**- The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or and restrict development activities within the catchment areas.

- (3) **Eco-Tourism.**-(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Himachal Pradesh in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Himachal Pradesh.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities relating to tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within 1 km from the boundary of the Sechu Tuan Nala Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer, however, beyond the distance of 1 km from the boundary of the said Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification in the official Gazette and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification in the official Gazette and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.
- (7) **Air pollution.**- The control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and the rules made thereunder.
- (9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;
- (ii) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (iii) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.**- (i) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.
- (ii) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone;
- (iii) Individual hospitals or private health centres already existing within the Eco Sensitive Zone shall provide waste treatment system to avoid adverse impact on the Protected Area.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.**- The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Industrial units.**- (a) No establishment of new wood based industries within the Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, and noise pollution within the Eco-sensitive Zone shall be permitted.

(16) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other personal consumption . (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006, in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of new saw mills and wood based industry.	No new or expansion of existing saw mills or wood based industry shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.
5.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Use of polythene bags by shopkeeper.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

8.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio-medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste shall be permitted within the Eco-sensitive Zone and installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment, hospitals, etc. shall be prohibited.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
11.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
12.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
13.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
14.	Construction activities.	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet their residential needs.
15.	Trenching ground.	Establishment of new trenching ground shall be prohibited and old trenching grounds shall be regulated under applicable laws.
16.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
17.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
18.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
19.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
20.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
21.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
22.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame specified in the Zonal Master Plan. Underground cabling to be promoted.
23.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
24.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
25.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic change of agricultural system.	Regulated under applicable laws.

27.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
28.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
29.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
31.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws
32.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
33.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be monitored by the concerned authority.
34.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
35.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
36.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
37.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
38.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
39.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
40.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
41.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
42.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. to be actively promoted.
43.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
44.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
45.	Skill development.	Shall be actively promoted.
46.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
47.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

- | | | |
|--------|---|--------------------|
| (i) | Concerned District Magistrate | -Chairman; |
| (ii) | An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Himachal Pradesh for a period of three years | -Member; |
| (iii) | One representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of Himachal Pradesh for a period of three years | -Member; |
| (iv) | Member Secretary or Member, Himachal Pradesh State Biodiversity Board | -Member; |
| (v) | Executive Engineer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board | -Member; |
| (vi) | Sub-Divisional Magistrate, Pangi | -Member; |
| (vii) | Divisional Forest Officer (Territorial) | -Member; |
| (viii) | Divisional Forest Officer (Wildlife) | -Member-Secretary. |

Terms of Reference.-

(1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site specific condition and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearance under the provisions of the said notification. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State as per proforma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.


6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/28/2016-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Map of Sechu Tuan Nala Wildlife Sanctuary, Himachal Pradesh



Annexure-II**Geo Co-ordinates of boundary of Sechu Tuan Nala Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone**

Sechu Tuan Nala Wildlife Sanctuary	Eco-sensitive Zone
33 ⁰ 10'50.664''N 76 ⁰ 42'41.106''E	33 ⁰ 8'28.083''N 76 ⁰ 34'1.875''E
33 ⁰ 10'41.026''N 76 ⁰ 44'53.899''E	33 ⁰ 7'13.249''N 76 ⁰ 35'0.453''E
33 ⁰ 7'52.297''N 76 ⁰ 44'45.723''E	33 ⁰ 4'23.536''N 76 ⁰ 35'7.409''E
33 ⁰ 1'4.745''N 76 ⁰ 46'37.576''E	33 ⁰ 1'20.235''N 76 ⁰ 36'0.386''E
32 ⁰ 54'23.388''N 76 ⁰ 45'19.07''E	32 ⁰ 59'12.12''N 76 ⁰ 33'54.362E
32 ⁰ 50'29.9''N 76 ⁰ 37'33.368''E	32 ⁰ 57'27.664''N 76 ⁰ 33'16.547''E
32 ⁰ 49'57.934''N 76 ⁰ 34'56.696''E	32 ⁰ 53'38.013''N 76 ⁰ 31'2.348''E

Annexure-III**List of villages along with Geo Co-ordinates falling within the Eco-sensitive Zone of Sechu Tuan Nala Wildlife Sanctuary**

Name of the Village	Geo Co-ordinates
Hillu	33 ⁰ 00'203''N 76 ⁰ 35'252''E
Twan	33 ⁰ 1'876''N 76 ⁰ 37'121''E
Chirotly	33 ⁰ 1'254''N 76 ⁰ 36'346''E
Kaalichow	33 ⁰ 1'610''N 76 ⁰ 36'831''E
Sandhari	33 ⁰ 00'519''N 76 ⁰ 35'675''E

Annexure IV**Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. (Attach minutes of the meeting as separate annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). (Details may be attached as annexure).
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.